

22

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 89/प्र0अ0-भवन/जोन-2/2012-13 दिनांक 20/02/2013

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री जफर मुईन खॉ पुत्र स्व0 कयूम खॉ द्वारा मकान नं0- 105/110 गद्दी लीडर रोड इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-


1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 02 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदकगण का होगा।
5. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. पक्ष द्वारा विद्युत संयोजन राज्य विद्युत परिषद से अपने व्यय पर लेना होगा।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक 16.02.2013 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा जो मुख्यतः निम्नवत् है :-
 - A- भवन के निर्माण के दौरान नगर निगम की किसी भी अवस्थापना सुविधा जैसे-सड़क, पटरी, इत्यादि प्रभावित होगी तो उसका मरम्मत एवं निर्माण आवेदक द्वारा कराया जायेगा।
 - B- भवन के अन्दर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, ताकि अवस्थापना सुविधा क्षतिग्रस्त न हो।
 - C- भवन का निर्माण By-Laws के अनुसार करना होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्र0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

8


(गुडाकेश शर्मा)

संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद


विकास
20-2-2013
903804050




BASEMENT PL. PLAN (PROPOSED)




BASEMENT PLAN, REAR




UGF & FIRST FLOOR PLAN




2ND FLOOR PLAN




SECTION ON AB




TERRACE PLAN



FRONT ELEVATION



KEY PLAN



SITE PLAN

AREA DETAIL		50 MG
DOOR-		
Detailed		
Dist. 2.4m		
WINDOW		
W = 1.20 x 1.50		
W = 1.20 x 1.50		
WENT = 60x60		
RJ = 210x1.40		
NET AREA		233.92
PROPOSED COVD. BASEMENT		44.42
PROPOSED COVD. W. GROUND FL.		84.87 37%
PROPOSED COVD. FIRST FLOOR		84.87 37%
PROPOSED COVD. 2ND FLOOR		84.87 37%
OPEN AREA		84.87 37%
OPEN PARKING		63.24
MURTY AREA		1615
REAR COVD. PARKING AREA		73.68
FAR = 100%		TOTAL COVD = 208.64 + 145.14

PROPOSED REVISED COMMERCIAL BUILDING PLAN OF HOUSE NO. 101/125/110
 92, OLD, BARHI KALAN AT LEADER ROAD
 DISTT- ALLAHABAD
 OWNER- SRI Z PAR MOIN KHAN
 561230

Handwritten notes and signatures in Hindi, including a circular official stamp.

Additional handwritten notes and calculations in Hindi.



Signature of the architect or engineer.

Scale or other technical notes.

Another signature or note.